न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन आवेदन क्रमांक–..... /12

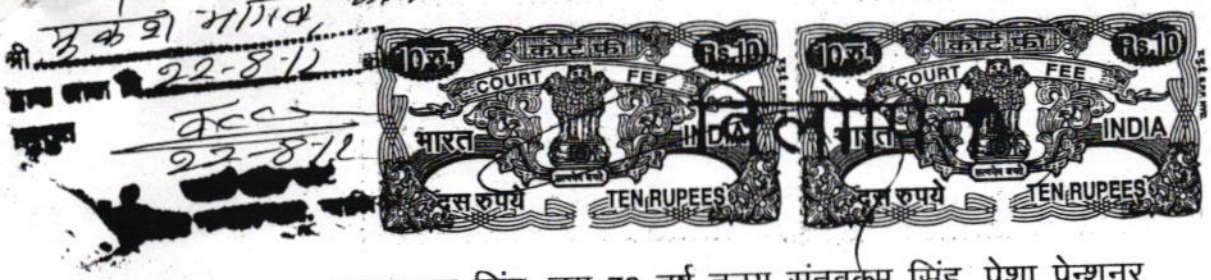

1– कमलभान सिंह, उम्र 70 वर्ष तनय संतवक्स सिंह, पेशा पेन्शनर

2– नरेन्द्र बहादुर सिंह, उम्र 68 वर्ष तनय संतवक्स, पेशा पेन्शनर

3– हीरामणि सिंह, उम्र 70 वर्ष तनय राजबहादुर सिंह, पेशा खेती

4– तेजप्रताप सिंह उम्र 68 वर्ष तनय राजबहादुर सिंह, पेशा खेती व पेन्शनर

5– विपिन सिंह उम्र 32 वर्ष तनय उमेश सिंह, पेशा खेती

6– रत्नेश सिंह, उम्र 46 वर्ष तनय वीरबहादुर सिंह, पेशा नौकरी

7– श्रीमती निर्मला सिंह, उम्र 45 वर्ष पत्नी उपेन्द्र सिंह, पेशा घरूकार्य

सभी निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर, वार्ड क0–8 नर्वदा वार्ड, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0) ———आवेदकगण

बनाम

1– प्रहलाद सिंह तनय सरदार रतन सिंह, निवासी गुरू गोविन्द सिंह काम्पलेक्स पुराना बस स्टैण्ड रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2– म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा (म0प्र0) ———अनावेदकगण

पुर्नविलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश श्री विनोद कुमार सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर जो निगरानी प्रकरण क0–1392–2/2010 में दिनांक 09/02/11 (प्रहलाद सिंह विरूद्ध म0प्र0 राज्य) में पारित

मान्यवर,

पुर्नविलोकन से सम्बन्धित तथ्य :–

अ– नगर पंचायत बैकुण्ठपुर, जिला रीवा (म0प्र0) स्थित भूमि नं0–360/2 रकवा 0.80 ए0 तथा 655/2 रकवा 0.50 ए0 राज्य शासन द्वारा धारा 243 म0प्र0 भू0रा0सं0 के अधीन चक आवादी भी सुरक्षित भूमि है, जिसमें वन्दोवस्त के समय से ही अनेको लोग आवाद है । भूमि नं0–360/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2266–दो/12 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.8.16	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1392–दो/2010 आदेश दिनांक 09.2.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2266–दो/2012 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1392–दो/2010 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 09.02.2011 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 2266–दो/2012 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य